न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 987/दावा/2017
दायरा दि0 12/12/2017

उनवान

मोतीलाल पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी छत्रपुरा तह0 खानपुर
—— वादी

बनाम्

1. गोपाल पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी छत्रपुरा
2. प्रभूलाल पुत्र रामलाल जाति बैरवा नि0 छत्रपुरा मृतक का0मु0
   2/1 श्यामलाल पुत्र प्रभूलाल जाति बैरवा निवासी छत्रपुरा तह0 खानपुर
   2/2 गिर्राज पुत्र प्रभूलाल जाति बैरवा निवासी छत्रपुरा तह0 खानपुर
   2/3 संतारावाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि मोहनलाल जाति बैरवा नि0 छत्रपुरा हा0मु0 छापल्डा–मोड़क स्टेशन के पास, मोड़क तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा
   2/4 कमलावाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि बाबूलाल जाति बैरवा निवासी छत्रपुरा हा0मु0 रघुवीरपुरा तह0 खानपुर
3. बिरधीलाल पुत्र रामलाल जाति बैरवा नि0 छत्रपुरा मृतक का0मु0
   3/1 आनन्दीलाल पुत्र बिरधीलाल जाति बैरवा नि0 छत्रपुरा तह0 खानपुर
   3/2 प्रहलाद पुत्र बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी छत्रपुरा हा0मु0 यादव मोहल्ला बस स्टेण्ड के पास झालरापाटन
   3/3 नन्दूबाई पुत्री बिरधीलाल पत्नि अशोककुमार जाति बैरवा निवासी छत्रपुरा हा0मु0 सलावल तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर
—— प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट 1955</u>

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – वादी

<u>निर्णय</u>

दिनांक 16/07/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम छत्रपुरा की जमाबंदी सं0 2069–72 की खतौनी सं0 39 की ख0नं0 50 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 72 रकबा 0.15 बीघा, ख0नं0 78 रकबा 0.11 बीघा, ख0नं0 80 रकबा 0.11 बीघा कुल 4 किता रकबा 2.07 बीघा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की है, जो पिता रामलाल से विरासत में प्राप्त हुई है। वादी के पिता मृतक खातेदार रामलाल के चार पुत्र बिरधीलाल, प्रभूलाल, गोपाल, मोतीलाल व एक पुत्री पुष्पावाई फौत हो चुकी है। वादी के पिता रामलाल की मृत्यु के बाद फौती नामा0सं0 72 तस्दीक करते समय

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया। यह इंतकाल राजस्व कर्मचारियों ने बिना जांच, बिना वादी को सुने तस्दीक किया है, जो वादी के अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य व बेअसर है। इस इंतकाल नं0 72 को वादी के अधिकारों के प्रति बेअसर घोषित किया जावे। वादी मृतक खातेदार रामलाल का जाईन्दा पुत्र होने से इस आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से खाते में नाम दर्ज कराने की कहने एवं प्रतिवादीगण द्वारा मना करने से वाद हेतु दि0 15.11.17 को उत्पन्न हुआ है। खातेदार प्रभूलाल फौत हो जाने से उसके वारीसान प्रति0नं0 2/1 लगा0 2/4 व खातेदार विरधीलाल के भी फौत हो जाने से उसके वारीसान को प्रति0नं0 3/1 लगा0 3/3 पक्षकार बनाया गया है। खातेदार पुष्पावाई भी फौत हो चुकी है। उसके विधिक वारीसान वाद में पक्षकार मौजूद हैं। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम छत्रपुरा की जमावंदी सं0 2069–72 की खतौनी सं0 39 की 4 किता रकबा 2.07 बीघा आराजी में वादी को हिस्सा 1/4 का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता भी वादी को दिलायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण दिनांक 13.02.18 को न्यायालय में उपस्थित हुये तथा जवाबदावा का अवसर चाहा गया। दिनांक 27.09.18 को प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी तथा अधिवक्ता वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य में वादी रामलाल व गवाह गोपाल पुत्र रामलाल बैरवा, आनन्दीलाल पुत्र विरधीलाल बैरवा के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp6 प्रदर्श कराये गये। तत्पश्चात वादी की साक्ष्य बंद की जाकर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम छत्रपुरा की 4 किता रकबा 2.07 बीघा वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की है, जो पिता रामलाल से विरासत में प्राप्त हुई है। वादी के पिता मृतक खातेदार रामलाल के चार पुत्र विरधीलाल, प्रभूलाल, गोपाल, मोतीलाल व एक पुत्री पुष्पावाई है। वादी के पिता रामलाल का फौती नामा0सं0 72 तस्दीक करते समय वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया। यह इंतकाल बिना जांच, बिना वादी को सुने तस्दीक किया है, जो वादी के अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य व बेअसर है। वादी मृतक खातेदार रामलाल का जाईन्दा पुत्र होने से इस आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है। खातेदार प्रभूलाल व विरधीलाल फौत हो गया है, उसके वारीसान को वाद में पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार पुष्पावाई भी फौत हो चुकी है, उसके विधिक वारीसान वाद में पक्षकार मौजूद हैं। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की हैं तथा गवाहान के बयान कराये हैं, जिनसे हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा डिकी किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी ग्राम छत्रपुरा की 4 किता की 2.07 बीघा में हिस्सा 1/4 का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादी मोतीलाल ने अपने आप को खातेदार रामलाल का पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

बताते हुये ग्राम छत्रपुरा की जमावंदी सं0 2069–72 की खतौनी सं0 39 की ख0नं0 50 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 72 रकबा 0.15 बीघा, ख0नं0 78 रकबा 0.11 बीघा, ख0नं0 80 रकबा 0.11 बीघा कुल 4 किता रकबा 2.07 बीघा आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने का यह वाद पेश किया है। दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp6 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी रामलाल पुत्र नन्दा चमार(लक्करी) के खाते की है। नामा0सं0 72 खातेदार रामलाल का फौती इंतकाल है, जो दिनांक 15.06.92 को तहसीलदार खानपुर द्वारा पुत्र बिरधीलाल, प्रभूलाल, गोपाल, पुत्री पुष्पावाई व बेवा नेनकीबाई के नाम तस्दीक किया गया है। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि इस इंतकाल को तस्दीक करते समय मृतक के वारीसान की जानकारी ग्रामवासीयान से नहीं की गयी है और न ही संबंधित पक्षकारों की सुनवाई का कोई साक्ष्य इंतकाल पर दर्ज है। वादी गोतीलाल अपने आप को मृतक खातेदार रामलाल का पुत्र कहता है, इस तथ्य को यह अपने बयानों में भी दोहराता है। उसके गवाह गोपाल पुत्र रामलाल बैरवा, आनन्दीलाल पुत्र बिरधीलाल बैरवा जो इसके परिवार के सदस्य व वाद में प्रति0नं0 1 व 3/1 हैं, अपने बयानों में वादी को रामलाल का पुत्र होना व इंतकाल नं0 72 में वादी का नाम छूटना स्वीकार करते हैं। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। इससे प्रकट होता है कि इनको वादी के वाद पर कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी मोतीलाल, खातेदार रामलाल का पुत्र होना साबित है। वादी का नाम इंतकाल नं0 72 में सहवन से छूट गया है, जिससे यह इंतकाल वादी के अधिकारों पर शून्य प्रभावी है। इस प्रकार वादी ने अपने वाद को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित कराया है। ऐसे में वादी वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है।

अतः वाद, वादी साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम छत्रपुरा की जमावंदी सं0 2069–72 की खतौनी सं0 39 की ख0नं0 50 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 72 रकबा 0.15 बीघा, ख0नं0 78 रकबा 0.11 बीघा, ख0नं0 80 रकबा 0.11 बीघा कुल 4 किता रकबा 2.07 बीघा आराजी में वादी मोतीलाल पुत्र रामलाल को 1/4 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। ग्राम छत्रपुरा का नामा0सं0 72 वादी के अधिकारों पर शून्य प्रभावी रहेगा। मृतक खातेदार पुष्पावाई का नाम खाते से खारिज हो। अब इस खाते में बिरधीलाल, प्रभूलाल, गोपाल, मोतीलाल पुत्र रामलाल कौम चमार(लक्करी)सा.दे. हिस्सा बराबर दर्ज रहेंगे। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। आराजी पर रहन का अंकन पूर्वानुसार यथावत रहेगा। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 16/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner